बैठक: दिनांक 06.07.2023
समय–अपरान्ह 01:00–2:00 बजे तक
संख्या–2407/77–6–23–222/2022

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. सलाहकारगण (श्री अरविन्द कुमार एवं श्री के0वी0 राजू), मा0 मुख्य मंत्री जी।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   पंचायती राज/राजस्व/नियोजन/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
   उ0प्र0शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ.प्र.।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा एवं यूपीसीडा।
6. जिलाधिकारी–मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर एवं हापुड़।

औद्यौगिक विकास अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनांक 03 जुलाई, 2023**

विषयः औद्यौगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु भूमि सम्बन्धी समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव कार्यालय, उ0प्र0शासन के पत्र संख्या–742/पीएसएमएस/2023, दिनांक 30.06.2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया कि औद्यौगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु भूमि सम्बन्धी समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध **मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06.07.2023 अपरान्ह 1:00–2:00 बजे प्रथम तल, बी ब्लाक, लोक भवन, लखनऊ स्थित उनके समाकक्ष में एक बैठक आहूत की गई है।**

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार निर्धारित बैठक में **स्वयं** प्रतिभाग करने का कष्ट करें। ***बैठक का एजेण्डा संलग्न है।***

मुख्यावास लखनऊ स्थित अधिकारीगण भौतिक रूप से एवं मुख्यावास लखनऊ से बाहर के अधिकारीगण अभासी (वर्चुअल) रूप से प्रतिभाग करेंगे। बैठक का लिंक निम्नवत हैः–

जूम आई.डी.– 82693798856

पासवर्ड–IUP@321

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
03.07.23
(मनोज कुमार मौर्य)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिवव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

आज्ञा से,
(मनोज कुमार मौर्य)
उप सचिव।

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु भूमि संबंधी समस्याओं के निस्तारण के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 06.07.2023 का एजेण्डा बिन्दु

1. उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत कतिपय औद्यौगिक विकास. प्राधिकरण/विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने निकट के क्षेत्रों की भूमि को अधिगृहीत किया गया है, किन्तु अभी तक मास्टर प्लान नही बनाया गया है, जिसके कारण उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने वाले उद्यमियों को उ.प्र. राजस्व संहिता की धारा–80 के अन्तर्गत कृषि भूमि को अकृषिक घोषित कराने हेतु औद्यौगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरणों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया जाता है, जिसके कारण आवेदक की भूमि की धारा–80 नहीं हो पाती है।

2. इसी प्रकार जहां पर औद्यौगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि का अधिगृहण होने के बाद भी मास्टर प्लान नही बनाया गया है, वहां पर औद्यौगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरणों द्वारा औद्यौगिक एवं आवासीय मानचित्र स्वीकृत नही किये जा रहें है। इन क्षेत्रों में जिला पंचायत विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर औद्यौगिक एवं आवासीय मानचित्र स्वीकृत कर दिए जाते है, जो उचित नही है तथा इसके कारण उद्यमियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

3. औद्यौगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरणों में मास्टर प्लान स्पष्ट न होने के कारण उद्यमियों द्वारा ऐसे भू–खण्डों को क्रय कर लिया जाता है जो कृषि हेतु भूमि है, किन्तु इसे अन्य प्रयोजन यथा औद्यौगिक कराने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

4. अध्यक्ष महोदय के अनुमति से अन्य बिन्दु।